UPJB010034232026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी.) एक्ट, अमरोहा।
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–869/2026

1. ओमसिंह कश्यप पुत्र सूरजपाल
2. अरूण कश्यप पुत्र सूरजपाल
3. धर्मेन्द्र कश्यप पुत्र सूरजपाल
4. सूरजपाल कश्यप पुत्र हरनाथ सिंह
   निवासीगण ग्राम जाजरू, थाना नौगांवा सादात, जनपद अमरोहा ।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 सरकार **.....अभियोगी।**

आदेश

दिनांकः–03.06.2026

01– आवेदकगण/अभियुक्तगण **ओमसिंह कश्यप, अरूण कश्यप, धर्मेन्द्र कश्यप एवं सूरजपाल कश्यप** की तरफ से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र **एस.टी.नम्बर–03/2026, अपराध संख्या–255/2024, धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट, थाना नौगांवा सादात, जनपद अमरोहा** के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में सोनू द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है तथा कथन किया गया है कि जमानत में दिये गये तथ्य सही एवं सत्य है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी ने ग्राम ओम सिंह कश्यप, अरूण कश्यप, धर्मेन्द कश्यप पुत्र सूरजपाल कश्यप को 10000 रू० उधार दिये थे। जिनको करीब 1 वर्ष हो चुका है। कल दिनांक 3/05/024 को समय करीब 5 बजे प्रार्थी उपरोक्त धर्मेन्द्र कश्यप से उसको दिये हुऐ 10000 रू0 वापस मांगे तो प्रार्थी के साथ मारपीट की और धर्मेन्द्र ने अपने हाथ में लिए डन्डे से प्रार्थी के सर पर वार किया प्रार्थी के सिर मे जब खून निकलने लगा तो शोर सराबा सुनकर प्रार्थी का भाई अजय बचाने को आया तो ओम सिंह कश्यप, धर्मेन्द्र कश्यप अरूण कश्यप s/o सूरजपाल व सूरजपाल सिंह कश्यप पुत्र हन्नू कश्यप ने लाठी डंडो से मार पीट की गाली–गलोच करते हुऐ जाति सूचक शब्दो का प्रयोग किया मोहल्ले के काफी लोग इखट्ठा हो गऐ चारो लोग फिर भुगत लेने की धमकी देते हुऐ भाग गए। वादी की उक्त सूचना के आधार पर संबंधित थाने पर अन्तर्गत धारा धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना उपरांत अन्तर्गत धारा धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि एफ.आई.आर. के अनुसार घटना दिनांक 03.05.2024 को समय 17:00 बजे की बतायी जाती है तथा एफ.आई.आर. दिनांक 04.05.2026 को समय 10:39 बजे वादी जन्म सिंह के द्वारा थाना नौगांवा सादात पर लिखाना कहा जाता है। एफ.आई.आर. के अनुसार वादी के उधार के 10,000/–रू0 दिनांक 03.05.2024 को समय करीब 05:00 बजे प्रार्थी धर्मेन्द्र कश्यप से वापस मांगने पर वादी के साथ मारपीट करना कहा जाता है तथा प्रार्थी धर्मेन्द्र के द्वारा अपने हाथ में लिये डण्डे से वादी के सिर पर वार करना कहा जाता है। शोर शराबा सुनकर वादी का भाई अजय बचाने आया तो अभियुक्तगण

Digitally signed by SHAILJA RATHI
Date: 2026.06.03 16:57:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

ओमसिंह कश्यप, अरूण कश्यप, धर्मेन्द्र कश्यप व सूरजपाल कश्यप के द्वारा लाठी डंडो से मारपीट करना व गाली गलौच करते हुए जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करना कहा जाता है। वादी जन्म सिंह व उसके भाई अजय का आपराधिक इतिहास है जो वर्तमान में भी जेल में सजा काट रहे है। वास्तव में प्रार्थी धर्मेन्द्र ने वादी से 10,000/–रू० अथवा कोई रकम उधार नही ली थी। प्रार्थीगण ने वादी पक्ष के साथ कभी कोई किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की है। प्नार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। जमानत की याचना करते है।

05. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ मारपीट कर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई और अनूसूचित जाति का सदस्य जानते हुए साशय लोकदृश्य वाले स्थान पर गाली–गलौच कर अपमानित करते हुए अनुसूची में वर्णित अपराध किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया हैं। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

06. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक विशेष लोक अभियोजक की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

07. अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण पर वादी के साथ मारपीट कर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देने और अनूसूचित जाति का सदस्य जानते हुए साशय लोकदृश्य वाले स्थान पर गाली–गलौच कर अपमानित करते हुए अनुसूची में वर्णित अपराध कारित करने का अभियोग है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी धाराए सात वर्ष तक की सजा की अवधि से दण्डनीय है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण को सी.आर.पी.सी. की धारा 41(क) का नोटिस तामील कराकर गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामलें में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। मामलें में अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर हैं। जमानत की शर्तों का कोई उल्लघन नहीं किया गया है। विचारण में समय लगना सम्भावित है। उपरोक्त समस्त परिस्थितयों एवं तथ्यों पर विचार करने के उपरांत आवेदकगण/अभियुक्तगण को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **ओमसिंह कश्यप, अरूण कश्यप, धर्मेन्द्र कश्यप एवं सूरजपाल कश्यप** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानत संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डर टेकिंग दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है–

01– आवेदकगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों/शिकायतकर्ता को डरायेगें, धमकायेगें नहीं, न्यायालय के आदेशों का पालन करेगें, विचारण के दौरान बिना कोई अनावश्यक स्थगन लिए नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगें तथा विचारण में सहयोग करेगें।

02– जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं करेगें और किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगें न ही कोई आपराधिक कृत्य करेगें।

दिनांक–03.06.2026

(शैलजा राठी)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट)
अमरोहा।